प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, निवासी जिला-मथुरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31014/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-08.12.2020) दिनांक-17.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, नगला जोरबल, डाडसौली, थाना-बल्देव, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादी का चचेरा भाई डा0 सौदान सिंह, आगरा में पशुचिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। दिनांक 28.05.2014 को प्रात: 7:15 बजे वादी को जानकारी मिली कि डा0 सौदान सिंह की नृशंस हत्या तेज धारदार हथियारों से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फतेहपुर सीकरी के समीप कर मोटरसाईकिल भी लूट ले गये। उक्त हत्या में पुलिस द्वारा विवेचना में रामेश्वर व सतेन्द्र उर्फ सीटू को मोटर साईकिल सहित पकड़ा गया। उनके द्वारा हत्या कर माल लूटने का जुर्म इकबाल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-733/2004 व 686/2004 में भा0द0वि0 की धारा-394, 302/34, 412, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, मथुरा के आदेश दिनांक 14.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 16 वर्ष 03 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 28.01.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 28.05.2014 को डा0 सौदान सिंह की फतेहपुर सीकरी के समीप तेज धारदार हथियारों से नृशंस हत्या कर मोटरसाईकिल लूटने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर (बन्दी संख्या-12004) पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, निवासी जिला-मथुरा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-160/2021/1266(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-160/2021/1266/22-2-2020-17(473)/2020

दिनांक 02 सितम्बर, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, नगला जोरबल, डाडसौली, थाना-बल्देव, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादी का चचेरा भाई डा0 सौदान सिंह, आगरा में पशुचिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। दिनांक 28.05.2014 को प्रात: 7:15 बजे वादी को जानकारी मिली कि डा0 सौदान सिंह की नृशंस हत्या तेज धारदार हथियारों से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फतेहपुर सीकरी के समीप कर मोटरसाईकिल भी लूट ले गये। उक्त हत्या में पुलिस द्वारा विवेचना में रामेश्वर व सतेन्द्र उर्फ सीटू को मोटर साईकिल सहित पकड़ा गया। उनके द्वारा हत्या कर माल लूटने का जुर्म इकबाल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-733/2004 व 686/2004 में भा0द0वि0 की धारा-394, 302/34, 412, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, मथुरा के आदेश दिनांक 14.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 16 वर्ष 03 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 28.01.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 28.05.2014 को डा0 सौदान सिंह की फतेहपुर सीकरी के समीप तेज धारदार हथियारों से नृशंस हत्या कर मोटरसाईकिल लूटने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।